Indian J. Soc. & Pol. 07 (01):71-74:2020 **ISSN: 2348-0084(P)**
ISSN: 2455-2127(O)

भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार की आवश्यकता

मनोज कुमार वर्मा[1]

[1]असि0 प्रो0 राजनीति विज्ञान विभाग, संत गणिनाथ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुहम्मदाबाद गोहना, मऊ, उ0प्र0, भारत

ABSTRACT

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक भारत में 17 लोकसभा चुनावों का सफलतापूर्वक आयोजन हो चुका है। इसके बावजूद भारतीय लोकतंत्र में अनेक चुनाव सम्बन्धी कमियाँ या समस्याएँ बनी हुई हैं जो भारतीय चुनाव प्रणाली के लिए बड़ी चुनौती है। यद्यपि चुनाव सम्बन्धी कमियों को दूर करने के लिए अनेक समितियों और आयोगों का गठन किया जा चुका है जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, उनमें से कई सुझावों पर अमल भी हुआ। लेकिन राजनीतिक दलों एवं सरकारों की राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव के कारण अभी भी बहुत से चुनाव सुधारों की आवश्यकता बनी हुई है। अतः यदि उन कमियों को स्वार्थ से परे रहकर समाप्त करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास किया जाए तो भारतीय लोकतंत्र पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय साबित होगा। भारतीय चुनाव प्रणाली की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए चुनाव सम्बन्धी कमियों को दूर करना अत्यंत आवश्यक है। ताकि भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ दुनिया का श्रेष्ठ लोकतंत्र भी बन सके।

KEYWORDS: *चुनाव सुधार, लोकतंत्र, राजनीतिक दल, मतदान, निष्पक्षता*

2019 के आम चुनाव के सुचारू रूप से संपन्न हो जाने को एक ओर जहाँ भारतीय निर्वाचन प्रणाली की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सराहना की जा रही है, वहीं चुनाव प्रक्रिया पर अनेक सवाल उठाए गए कि यह कैसी चुनाव प्रणाली है, जहाँ 30–40 दिन तक की लम्बी अवधि तक चलने वाले चुनावों के दौरान हिंसा, लालच देकर वोट प्राप्त करने, जाली मतदान एवं EVM में छेड़छाड़ जैसी अनेक शिकायतें बड़े पैमाने पर हुई हैं अतएव तमाम उपलब्धियों एवं प्रशंसाओं के बावजूद वर्तमान में उन स्थितियों का जायजा लेना आवश्यक है जो हमें चिंता में डालते हैं और विचार करने को प्रेरित करते हैं क्योंकि चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता व विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है। भारतीय लोकतंत्र के लिए यह कतई ठीक नहीं हो सकता कि चुनाव प्रक्रिया को संदेह की दृष्टि से देखा जाय, ऐसा होना निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र की साख पर आघात पहुँचाने वाला होगा। किसी भी प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र के लिए केवल यह जरूरी नहीं कि निवार्चन हो बल्कि यह महत्वपूर्ण होता है कि निर्वाचन की प्रक्रिया निष्पक्ष और दोषमुक्त हो।

यद्यपि भारत में निर्वाचन आयोग ने अब तक 17 लोकसभा चुनावों को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया है, जिसके द्वारा भारत में लोकतंत्र की जड़े लगातार मजबूत हुई हैं। भारतीय लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है, यहा एक आम चुनाव का आयोजन यूरोप, अमेरिका, कनाडा एवं आस्ट्रेलिया में एक साथ चुनाव कराये जाने के बराबर है। बड़े पैमाने पर गरीबी और अशिक्षा के बावजूद भारत ने एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की देखरेख में सफल चुनाव आयोजित किए हैं। चुनाव में भारी संख्या में मतदाताओं को भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। कानून के मुताबिक उन्हें नजदीक से नजदीक स्थान पर मतदान केन्द्र उपलब्ध कराया जाता है ताकि वह दूरी पैदल तय की जा सके। चुनाव प्रचार अभियान की कठोरता पूर्वक निगरानी की जाती है। ऐसी तमाम खूबियों के बावजूद भारतीय लोकतंत्र में अनेक चुनाव संबंधी कमियाँ या समस्याएं बनी हुई हैं जो भारतीय निर्वाचन प्रणाली के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। वर्तमान चुनाव व्यवस्था के प्रमुख दोष व समस्याएं निम्न हैं–

1. धन की बढ़ती भूमिका– चुनावों के दौरान उम्मीदवारों के द्वारा पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। चुनाव में धन की बढ़ती हुई भूमिका हमारी चुनाव व्यवस्था का गंभीर दोष है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के अनुसंधान एवं विश्लेषण से चुनाव प्रणाली में धन और बाहुबल के बीच एक सीधा सम्बन्ध देखने को मिलता है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले एक अमीर उम्मीदवार की एक निष्कपट उम्मीदवार की तुलना में चुनाव जीतने की संभावना लगभग दोगुनी होती है। 16वीं लोकसभा में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या 34 प्रतिशत थी और उनकी घोषित औसत सम्पत्ति 14.7 करोड़ रूपये थी। जब राजनीतिक दल कॉरपोरेट/बड़े व्यापारियों से बड़े पैमाने पर धन प्राप्त करते हैं तो, जाहिर है कि सत्ता में आने के उपरान्त यही राजनीतिक दल इन व्यापारियों के पक्ष में नीति निर्माण अथवा फैसले कर सकते हैं।

2. दलों को प्राप्त जनसमथर्न व जीती गई सीटों की संख्या के अनुपात में गंम्भीर अन्तर– भारतीय निर्वाचन में 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' व्यवस्था को अपनाया गया है जिसमें प्राप्त मतों की संख्या और जीती गई सीटों में कोई सम्बन्ध नहीं होता। 2014 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में 4.2 प्रतिशित वोट हासिल करने के बावजूद एक भी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नहीं जीत सकी। इसके विपरीत तृणमूल कांग्रेस को केवल 4.8, अन्नाद्रमुक को 3.3 और बीजू जनता दल को केवल 1.7 प्रतिशत वोट मिले लेकिन इन पार्टियों ने क्रमशः 34, 37 और 20 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल कर ली। इस पद्धति द्वारा हुए निर्वाचन में बड़ी विसंगति यह भी है कि इसमें ऐसे उम्मीदवार भी चुनाव जीत जाते हैं जिन्हें पड़े मतों का आधा हिस्सा भी प्राप्त नहीं होता। 2014 के लोकसभा चुनाव में 331 यानी 61 प्रतिशत सांसद 50 प्रतिशत से कम वोट प्राप्त कर जीते थे, केवल 4 सांसद ही 50 प्रतिशत से अधिक वोट प्राप्त कर जीते थे। इस प्रकार एक ऐसा उम्मीदवार जनता का प्रतिनिधित्व करता है जिसे बहुसंख्यक जनता का समर्थन प्राप्त नहीं होता। यह स्थिति भारतीय निर्वाचन प्रणाली की जबर्दस्त विसंगति को दर्शाती है।

1: Corresponding Author

3. प्रत्याशियों की बहुलता– दलों और प्रत्याशियों ने निर्वाचन व्यवस्था के दोषों में और अधिक वृद्धि कर दी है। दलों और उम्मीदवारों की अधिक संख्या से प्रशासनिक दिक्कतों के साथ मतदाताओं में भी भ्रम की स्थिति पैदा होती है। चुनावों के समय बहुत से मौसमी दल पैदा हो जाते हैं। 1980 के बाद से कई लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की कुल संख्या 50 से अधिक रही है। और कुछ मामलों में तो यह आंकड़ा 100 के पार चला गया है। उम्मीदवारों का आंकड़ा 1996 में चरम पर था। उस चुनाव में आन्ध्रप्रदेश के नलगोंडा और कर्नाटक के बेलगाम लोकसभा क्षेत्रों से क्रमशः 480 और 456 उम्मीदवार मैदान में थे।

4. सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग– सत्तारूढ़ दल चुनावों में प्रशासनतंत्र के दुरूपयोग से जनादेश को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। अपने चहेते अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति देकर चुनाव प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया जाता है।

5. चुनावों में हिंसा की बढ़ती घटनाएं– 2019 का लोकसभा चुनाव 7 चरणों में सम्पन्न हुआ जिसमें विभिन्न क्षेत्रों खास कर पं0 बंगाल में चुनावी हिंसा बड़े पैमाने पर हुई। मतदान के सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना पड़ता है। चुनावों में होने वाली हिंसा, बूथ कैप्चरिंग, जाली मतदान जैसी अवांछनीय वारदातों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर अर्द्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती मतदान केन्द्रों पर करनी पड़ती है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन0 गोपालास्वामी ने बहुत खिन्न होकर कहा था कि, ''मैं चुनावों के दौरान इतने बड़ी मात्रा में केन्द्रीय बलों के प्रयोग से खुश नहीं हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जो बंदूकधारी कार्यकर्त्ताओं के द्वारा चलाया जाए।''

6. मतदाता पर्चियों की अपूर्णता– हमारी चुनाव प्रणाली में यह भी एक दोष है कि चुनावों के समय विशेषकर मध्यावधि चुनावों के समय मतदाता सूचियाँ प्रायः अपूर्ण रहती हैं। इनमें गलतियाँ भी पाई जाती हैं। परिणामस्वरूप अनेक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह जाते हैं। चुनाव क्षेत्रों में भी कई बार ऐसा परिवर्तन कर दिया जाता है जो शासक दल के अनुकूल होता है।

7. मतदाताओं की मतदान के प्रति उदासीनता– 2019 के लोकसभा चुनाव में अब तक हुए सभी चुनावों से ज्यादा मतदान (67.11 प्रतिशत) हुआ। लेकिन यह मतदान प्रतिशत पूरे देश का समग्र रूप में है। बहुत से ऐसे लोकसभा क्षेत्र जहाँ कुल मतदान 50 प्रतिशत भी नहीं हुआ। कम मतदान प्रतिशत किसी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं माना जा सकता।

8. ई0 वी0 एम0 से सम्बन्धित शिकायतें– बहुत से विपक्षी दलों द्वारा चुनाव पूर्व तथा चुनाव परिणामों के बाद ई0वी0एम0 में छेड़छाड़ की शिकायतें की गईं। कई मतदान केन्द्रों पर ई0 वी0एम0 के ठीक से कार्य न करने की भी शिकायतें आईं। ई0वी0एम0 से सम्बन्धित शिकायतें भारतीय चुनाव व्यवस्था के सम्मुख वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रही है।

9. भारतीय चुनाव व्यवस्था की अन्य चुनौतियां– भारतीय निर्वाचन प्रणाली की उपरोक्त कमियों व चुनौतियों के अतिरिक्त अन्य खामियों की आसानी से पहचान की जा सकती है– चुनाव आयोग के पास अपने स्वतंत्र कर्मचारियों का न होना, चुनावों में विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार, देश भर में चुनावों का चलने वाला क्रम, चुनावों में काले धन का इस्तेमाल, राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन अधिकारियों पर अनुचित दबाव की प्रवृत्ति, मतदान में भाग लेने की अनिवार्यता न होना, निर्वाचन याचिकाओं पर निर्णय में अत्यधिक विलम्ब होना आदि।

भारत में चुनाव सुधारों पर सरकारी और गैर–सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयत्न हुए। चुनाव सुधारों के लिए समय–समय पर अनेक समितियाँ और आयोग गठित हुए, जैसे– लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा जस्टिस वी0एस0 तारकुण्डे की अध्यक्षता में गठित एक गैर–सरकारी तारकुण्डे समिति, के0 संथानम समिति जिसने उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता का सुझाव दिया, वी0पी0 सिंह सरकार द्वारा तत्कालीन विधि मंत्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में गठित दिनेश गोस्वामी समिति, चुनाव खर्च सरकार द्वारा वहन करने पर इन्दजीत गुप्ता समिति (1998) इत्यादि समितियों एवं आयोगों द्वारा चुनाव सुधारों पर रिपोर्ट तैयार की गई। इनके अलावा टी0एन0 शेषन, जे0एम0 लिंगदोह, वाई0वी0 कुरैशी जैसे यशस्वी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने भी पहल करते हुए सरकार के समक्ष चुनाव सुधारों के सम्बन्ध में अपनी राय दी। अपने प्रतिवेदन में इन समितियों ने चुनाव सुधार से सम्बन्धित लगभग सभी पहलुओं को किसी न किसी रूप में अवश्य छुआ। काफी सिफारिशों को पश्चातवर्ती सरकारों ने क्रियान्वित भी किया लेकिन बहुत सी सिफारिशों पर राजनीतिक दलों में आम सहमति न होने के कारण कोई समग्र कार्यवाही नहीं हो सकी। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें इस सम्बन्ध में प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

भारतीय निर्वाचन प्रणाली में व्याप्त त्रुटियों एवं विसंगतियों को दूर करने का समय आ गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के 'न्यू इंडिया' के सपने को साकार करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। चुनाव सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए डॉ लक्ष्मीमल सिंघवी ने विचार प्रकट किया था कि, ''हमारे संविधान ने आधुनिक उदारवादी दर्शन के सारतत्व सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया है परन्तु इसके पूरे अर्थ का अभी उद्घाटन होना है। अभी इसे न्याय, स्वतंत्रता तथा क्षमता के उदात्त लक्ष्यों की सिद्धि का साधन बनना शेष है। यदि हमें इस महत् तथा भव्य आदर्श को यथार्थ के धरातल पर लाना है, तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपने निर्वाचन प्रक्रमों के वास्तविक स्वरूप तथा त्रुटियों एवं विकृतियों का परिचय प्राप्त करें और उनकी शुद्धता की रक्षा के लिए पृथक प्रयास करें।''

भारतीय निर्वाचन प्रणाली में व्याप्त कमियों को कुछ प्रक्रियागत एवं आवश्यक कदम उठा कर सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है–

1. राजनीतिक दल किसी भी निर्वाचन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग हैं और यदि राजनीतिक दलों के संगठनात्मक चुनावों में परिवर्तन, निरंतरता और निष्पक्षता नहीं होगी तो लोकतंत्र की सफलता पर संदेह उत्पन्न हो जाएगा। दुर्भाग्यवश भारत में राजनीतिक दल अपने पार्टी संविधान का पालन नहीं करते। राजनीतिक दल अपने संगठनात्मक चुनाव समय पर नहीं कराते हैं और कई नेता अपने पदों पर चिपके रहते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक दलों में सुधार किया जाए तथा उन्हें लोकतांत्रिक और उत्तरदायी बनाया जाय।

2. चुनावों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए यह भी आवश्यक है कि चुनाव आयोग के पास अपनी स्वयं की सरकारी मशीनरी हो जिसकी सहायता से वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनावों का संचालन कर सकें।

3. मतदान के प्रति उदासीनता और राजनीति के प्रति वितृष्णा की भावना का उन्मूलन करने के लिए चुनावों में मतदान को अनिवार्य करने का सुझाव दिया जाता है। भूतपूर्व चुनाव आयुक्त एस0पी0 सेन वर्मा ने 1968 में कहा था कि चुनावों के प्रति मतदाताओं की उदासीनता चुनावों को मजाक बना देती है। अतः भारतीय संसद को अनिवार्य मतदान का कानून बना देना चाहिए और जो मतदाता चुनावों में भाग न लें उन पर कुछ दण्ड लगाया जाये, जो 50 रूपये से अधिक न हो। यदि मत न देने के कारण मतदाता को न्यायालय के सामने उपस्थित होना व जुर्माना देना पड़ेगा तो वह उदासीनता दिखाने के पहले कई बार सोचेगा।

4. चुनाव सुधार की दिशा में सबसे जरूरी कदम राजनीतिक दलों की फंडिंग और उनके चुनावी खर्च सम्बन्धी नियमों में बदलाव से जुड़ा है। उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की सीमा की तरह राजनीतिक दलों के खर्च की सीमा तय की जानी चाहिए। साथ ही यह सुझाव भी महत्वपूर्ण है कि चुनाव खर्च का भार पूर्णतया या आंशिक रूप से राज्य के द्वारा वहन किया जाना चाहिए। हालांकि भारतीय परिस्थितियों में राज्य के द्वारा चुनावी खर्च का समस्त भार अपने ऊपर लेना अव्यावहारिक हो सकता है, लेकिन रजनी कोठारी के सुझाव को स्वीकार किया जा सकता है, ''शासन के द्वारा दलों को शामियाने, दरी, जीप, पोस्टर छपवाने के लिए निर्धारित धनराशि आदि मूल सुविधाएं दी जानी चाहिए, जिससे चुनाव समान शक्तियों के बीच एक खेल न बन सके और चुनावों में धन की भूमिका को कम किया जा सके।'' राज्य द्वारा खर्च का वहन करने से चुनाव में ईमानदार लोगों का प्रवेश शुरू होगा।

5. निर्वाचन याचिकाओं पर शीघ्रता से निर्णय की स्थिति को अपनाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इससे भ्रष्ट साधनों का इस्तेमाल कर चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार का निर्वाचन अवैध होने से चुनाव में भ्रष्ट साधनों का इस्तेमाल करने वाले उम्मीदवार हतोत्साहित होंगे। चुनाव समापन से 6 माह की अवधि में चुनाव याचिकाओं का निपटारा अवश्य हो जाना चाहिए।

6. राजनीतिक दलों का चुनावी गतिविधियों में जातीयता एवं साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने के कारण पंजीयन निरस्त किया जाना चाहिए।

7. प्रत्याशी के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए।

8. चुनावों में मीडिया, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक प्रचारतंत्र, चुनाव सर्वेक्षण एवं एक्जिट पोल आदि के नियमन एवं नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र एजेन्सी का गठन किया जाना चाहिए।

9. चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन होना चाहिए। उल्लंघनकर्ता प्रत्याशियों के लिए केवल चेतावनी के स्थान पर त्वरित दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए।

10. चुनाव में उम्मीदवारी वापस लेने की तिथि और चुनाव की तिथि के अनिवार्य 20 दिनों के अन्तर को कम करके 10 दिन कर देना चाहिए, इससे चुनावी खर्च में कमी आयेगी।

11. चुनावों में बड़ा समय और पैसा खर्च होता है हर वर्ष देश के किसी न किसी राज्य में विधानसभा चुनावों का आयोजन होता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सबसे अच्छा कदम यह होगा कि संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने पर सभी दलों में व्यापक सहमति तैयार की जाय।

12. मौजूदा कानून के तहत केवल ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है जिसे न्यायालय ने दोषी ठहराया हो। इस कानून में संशोधन की आवश्यकता है। अतः आपराधिक छवि के व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 में उचित संशोधन किया जाना जरूरी है।

13. चुनावों में उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने और अगम्भीर उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए संसद द्वारा जरूरी कानून बनाया जाये।

14. भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने के लिए संसद और विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों।

15. चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता व पारदर्शिता के लिए यह जरूरी है कि निर्वाचन आयोग को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का विश्वास हासिल हो। इसके लिए यह जरूरी है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व नेता प्रतिपक्ष के साथ सलाह–मशविरे के बाद होनी चाहिए।

16. निर्वाचन प्रणाली की विश्वास बहाली के लिए ई0वी0एम0 की विश्वसनीयता को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाये जाने चाहिए। ई0वी0एम0 के विकल्पों पर विचार करने की आवश्यकता है।

17. राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में किए गए वायदों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए सर्तकता आयोग जैसी स्वतंत्र एजेन्सी हो जिससे राजनीतिक दल हवाई वादे करके जनादेश न प्राप्त कर सकें।

निष्कर्ष

चुनाव सुधोर एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। भारत में समय–समय पर चुनाव सम्बन्धी खामियों को दूर करने के प्रयास होते रहे हैं लेकिन अभी बहुत सारे सुधार अपेक्षित हैं। चूँकि राजनीतिक दल चुनाव सुधारों से प्रत्यक्षतः प्रभावित होते हैं इसलिए सुधारों के प्रति उनका दृष्टिकोण मायने रखता है। निर्वाचन आयोग के साथ–साथ दिनेश गोस्वामी समिति से लेकर इन्द्रजीत गुप्ता कमेटी ने चुनाव सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझााव दिये, किन्तु महत्वपूर्ण सुधारों से जुड़े सुझाव पर राजनीतिक दलों द्वारा कोई सकारात्मक रूख नहीं दिखाया गया। ऐसा इसलिए भी कि चुनाव सुधार से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा राजनीतिक दलों के फंडिंग का आधार तय करना और उसकी पारदर्शी तरीके से निगरानी करना है। चुनाव सुधारों की सरकारों द्वारा अनदेखी के कारण ही हाल में सम्पन्न लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर कई पार्टियों और राजनीतिज्ञों द्वारा तमाम आक्षेप लगाये गए। अतः स्पष्ट है कि चुनाव सुधारों को अमलीजामा पहनाने के लिए सरकार को दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देना होगा।

REFERENCES

शकधर, श्यामलाल (1975) *संविधान और संसद,* नई दिल्ली, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, पृ0 438

कोठारी, रजनी *: पार्टी सिस्टम एण्ड इलेक्शन स्टडीज,* बम्बई, एलाइड पब्लिशर्स, पृ0 271

मित्रा, सुब्रत के0 : चुनाव, चुनाव सुधार और मजबूत होता लोकतंत्र, *योजना,* जुलाई 2014, पृ0 24

भट्टाचार्य, कौशिक : उम्मीदवारों की बहुलता और भारतीय चुनाव सुधार, *योजना,* जुलाई 2014, पृ0 35

पुनिया, पिंकी एवं रितेश भारद्वाज 2013 : *चुनाव और निर्वाचन व्यवस्था,* चौधरी, बी0 एन0 एवं युवराज कुमार (संपा0), भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, हिन्दी माध्यम कार्यन्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पृ0 73–74

दी इण्डियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली 14 मई 2007 पृ09

दूबे, अभय कुमार : चुनाव प्रणाली–विसंगतियाँ और सुधार, *योजना,* जुलाई 2014, पृ0 18

दूबे, अभय कुमार : लोकतंत्र का भारतीयकरण, *हंस,* अर्द्धशती विशेषांक, सितम्बर 1997

वर्मा, अनिलः भारतीय लोकतंत्र एवं चुनाव सुधार की आवश्यकता, *योजना,* जुलाई 2014, पृ0 9–10

फड़िया, डॉ0 बी0एल0(2016)*भारतीय शासन एवं राजनीति,* आगरा, साहित्य भवन प्रकाशन, 2016, पृ0 694

नसीबः चुनाव सुधार–एक आवश्यकता, *जर्नल आफ एडवान्स एण्ड स्कालर्ली रीसर्चेज इन एलाण्ड एजुकेशन* वाल्यू0 16 इश्शू 02 फरवरी 2019 पृ0 747